

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड मध्यप्रदेशपीठासीन अधिकारी— केशव सिंहआपराधिक प्रकरण क्रमांक 854 / 2009संस्थापित दिनांक 12.11.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र रामबाबू सिंह उम्र—30
साल व्यवसाय खेती निवासी ग्राम रौन
पुलिस थाना रौन, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::(आज दिनांक 07 / 11 / 14 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 338 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 11/10/09 के 10:11 बजे रात बस स्टेण्ड मंजिद के सामने मौ रोड पर अपने आधिपत्य का वाहन क्रमांक एम.पी.30डी.0052 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया व वाहन क्रमांक एम.पी.30डी.0052 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर आहत मुकेश को टककर मारकर घोर उपहति कारित की।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में विचारण के दौरान आहत का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी श्रीमती पूना देवी मय अपने ससुर जसवंत ने दिनांक 11/10/09 के 10:11 बजे पुलिस थाना मौ में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि वह अपने पति के साथ दिनांक 11/10/09 को अपने मौहल्ले के इमामी के लडकेके बारात में मौ आई थी वह तथा उसका पति मुकेश बरात मकें खाना खाकर वापस अपने घर जाने के लिये बस स्टेण्ड पर मस्जिद के सामने खड़े थे रात करीब 10,11 बजे का समय था तभी मोटरसायकिल का श्याम सिंह कुशवाह अपनी विलौरो जीप क्रमांक एम.पी. 30.डी.0052 को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके पति

के टककर मार दी जिससे गाडी का पहिया कमर से पति के निकल गया जिससे दाहिनी राग के पास दाहिने अण्डकोश के बयी जांघ के उपर कमर के सामने दाहिने कूल्हे पर शरीर पर जगह-जगह चोटें आई व खून निकल आया मौके पर उसका देवर राकेश,देवरानी गीता थी जिन्होंने घटना देखी थी। विलौरा वाला श्याम सिंह गाडी लेकर भाग गया फिर उसके पति को उसका देवर देवरानी के साथ रौन अस्पताल पहुंचे जहा से डॉ०साहब द्वारा रेफर कर दिया तभी से अस्पताल भिण्ड में भर्ती होकर इलाज करा रही थी वह आज रिपोर्ट को आई है।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मौ द्वारा [अप०क०१९३/०९](#) पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया विवेचना के दौरान आहत का मेडीकल परीक्षण कराया जाकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि०की धारा 279,338 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपी को सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।

6. प्रकरण मे आहत का आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जाकर आरोपी को भा०द०वि०की धारा 338 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि धारा 279 शमन योग्य अपराध न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।

7. आरोपी को धारा 313 द०प्र०स० की परीक्ष प्रतिरक्षा मे प्रवेश कराया जाकर गया। परीक्षण में आरोपी ने बचाव मे साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया परीक्षण उपरांत छोडा गया।

7.. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपी ने वाहन कमांक एम.पी.डी.डी.0052 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन कारित किया?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में अभियोजन की ओरसे अपने पक्ष समर्थन में श्रीमती पूनम आ०सा०१,मुकेश आ०सा०२,राकेश आ०सा०३,श्रीमती गीता आ०सा०४,जसवंत आ०सा०५,मुन्नीलाल मौर्य आ०सा०६ को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

9. श्रीमती पूनम आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना है कि घटना रात्रि 10:00 बजे की है उस दिन मंजिद के सामने बस स्टेण्ड पर खड़े थे उसके साथ राकेश, गीता व उसका पति मुकेश भी वही पर खड़े थे तभी उसी गांव के श्यामसिंह मार्शल जो कि गाडी को बडी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पति में टककर मार दी। जिससे गाडी का पिछला पहिया उसकी कमर के उपर से निकल गया जिससे उसके कमर,पेट,और कूल्हे व पेशाब की जगह में चोट आई थी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मौ पर की थी जो प्र0पी01 की है। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि उसका पति रौन बरात में आया था वह बरात में नहीं आई थी। उसे बाद में मालूम पडा था कि गाडी से एक्सीडेंट हो गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि श्याम सिंह की मार्शल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसके पति मुकेश का किस गाडी से एक्सीडेंट हुआ उसे नहीं पता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका पति व राकेश राठौर शराब पिये हुये थे राकेश ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर पडा और किसी गाडी की चपेट में आ गया था। साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्णतः खण्डित रहे हैं।

10. मुकेश आ0सा02 इस साक्षी के साथ दुर्घटना घटित हुई है। इस साक्षी का कहना है कि रात के लगभग 10,11 बजे का समय था वह मंजिद के सामने बस स्टेण्ड पर खड़ा था उसके साथ उसकी पत्नि पूनम, उसका भाई राकेश व गीता भी वहीं खड़ी थी। मेहगांव तरफ से रौन रोड पर जा रही एक मार्शल जीप जिसको श्याम सिंह बडी तेजी व लापरवाही से चला रहा था उसने टककर मार दी जिससे पहिया उपर चढ गया और उसकी पीठ, पैर व पेशाब की जगह में चोट आई थी। उसका इलाज भिण्ड में हुआ था जिस मार्शल गाडी ने उसे टक्कर मारी थी उसका नम्बर एम.पी 30-0052 था दुर्घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि श्याम सिंह मार्शल गाडी को तेजी व लापरवाही से नहीं चला रहा था मुकेश राठौर ओर वह शराब पिये हुये थे मुकेश ने उसे धक्का दे दिया इसलिये वह गिर गया और उक्त गाडी से टकरा गया। आरोपी श्याम सिंह की इसमें कोई गलती नहीं थी रात अंधेरी थी इसलिये मार्शल गाडी को नहीं देख पाया तथा वह नशे में था। साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्णतः खण्डित रहे हैं। साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन नहीं होता है कि मार्शल गाडी को आरोपी श्यामसिंह ही चला रहा था।

11. राकेश आ0सा03 का कहना है कि रात का समय 10,11 बजे वह लोग मजिद के सामने बस स्टेण्ड पर खड़े थे उसके साथ उसकी पत्नि गीता व भाई मुकेश तथा पूनम भी वहीं खड़ी थी। मेहगांव की तरफ

से एक मार्शल जीप जिसको श्यामसिंह बड़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था उसने आकर मुकेश में टककर मार दी जिसका पहिया मुकेश की पीठ, पैर व अण्डाकोश फट गया था। फिर दूसरी गाड़ी से मुकेश को रौन लेकर आये जहां से उसे भिण्ड रेफर कर दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3में यह स्वीकार किया है कि वह अपने भाई मुकेश के साथ रौन से इमाम के लडके की बरात में मौ आया था। उसकी भाई व उसकी पत्नि घर पर थी रात के 12.1 बजे के समय उसे बरात में मालूम पडा कि उसके भाई मुकेश का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तब वह बस स्टेण्ड पर पहुंचा तो उसका भाई मुकेश बेहोश पडा था। मुकेश रातौर ने बताया था कि कोई अज्ञात गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। साक्षी ने श्यामसिंह को गाड़ी चलाते हुये नहीं देखा था। इस साक्षी के कथनो से भी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है।

12. जसवंत आ0सा05 का कहना है कि उसके दो लडके है एक मुकेश व एक राकेश है। बड़ी बहू पूनम तथा दूसरी बहू गीता है। चारो लोग मौ बरात में गये थे उसके चारो बच्चे वाहन के लिये रोड पर खडे थे मार्शल वाले ने कट मारा जिससे मुकेश को चोट आई थी। मुकेश से पहिया निकल गया था उसे राकेश ने बताया व गीता ने भी बताया था। उस मार्शल को श्यामसिंह चला रहा था श्यामसिंह का गलती से एक्सीडेंट हुआ था। यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है। जिसे घटना की जानकारी मुकेश, राकेश, गीता व पूनम से प्राप्त हुई है। इसलिये प्रथमतः घटना प्रमाणित करना मुकेश, राकेश, गीता व पूनम का है।

13. मुन्नीलाल मौर्य आ0सा06 इस साक्षी के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया है। इस साक्षी का कहना है कि दिनांक 23/10/09 को थाना मौ में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे [अप0क0193/09](#) भा0द0वि0की धारा 279,337 की कैस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी उसने अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका बनाया था जो प्र0पी02 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी पूनम देवी, साक्षी गीता व राकेश, मुकेश सिंह, जसवंत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था। आरोपी द्वारा मार्शल जीप क्रमांक एम.पी.30टी.0052 की पेश की गई थी जिसका जप्तीपत्रक तैयार किया गया जो प्र0पी06 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था जो प्र0पी07 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही का समर्थन किया है। लेकिन घटित अपराध इस प्रकार का है कि उसे घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जाना है। इस साक्षी के कथनो से प्रकरण के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।

14. प्रकरण में गीताबाई आ0सा04 को न्यायालय के समक्ष

परीक्षित कराया गया है। साक्षी का परीक्षण दिनांक 01/03/12 को किया गया। लेकिन उक्त दिनांक को साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है इसके पश्चात साक्षी प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुई है। जबकि आरोपी का यह अधिकार है कि वह साक्षी के द्वारा किये गये कथनों पर प्रतिपरीक्षण कर सके इसलिये इस साक्षी के कथनों पर निर्णय के संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

15. प्रकरण में घटना में आहत व चक्षुदर्शी साक्षी श्रीमती पूनम आसा01, मुकेश आ0सा02, राकेश आ0सा03 को बताया गया है। पूनम आ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर पर थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि श्याम सिंह की मार्शल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इस तरह पूनम के कथनों से आरोपी श्याम सिंह के वाहन चला कर दुर्घटना कारित किये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।

16. मुकेश आ0सा02 के साथ दुर्घटना घटित हुई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि उसने स्वीकार किया है कि रात अंधेरी थी इसलिये वह मार्शल गाड़ी को नहीं देख पाया तथा वह नशे में था। इस तरह इस साक्षी के कथनों से भी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है।

17. राकेश ने आ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह बरात में था मुकेश रातौर ने उसे बताया था कि किसी अज्ञात वाहन से उसका एक्सीडेंट हो गया है उसने श्याम सिंह को गाड़ी चलाते हुये नहीं देखा इस तरह इस साक्षी के कथनों से भी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है। जसवंत सिंह आ0सा05 घटना का अनुश्रुत साक्षी है जिसने घटना होते हुये नहीं देखी है।

18. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी व आहत के द्वारा न्यायालय में यह कथन दिया है कि उन्होंने आरोपी श्याम सिंह को वाहन चलाते हुये नहीं देखा है। इस तरह न्यायालय में परीक्षित साक्षियों के कथनों से वाहन चालक की पहचान प्रमाणित नहीं होती है।

19. प्रकरण में फरियादी एवं आहत मुकेश व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी व साक्षियों ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालयीन अभिलेख पर कथन दिये हैं। जिनके द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी श्याम सिंह द्वारा वाहन को न चलाये जाने की बात कही है। इसलिये आरोपी के विरुद्ध आरोपित आरोप साक्षियों के कथनों से पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये।

20. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0की धारा 279 का अपराध पूर्णतः अप्रमाणित अवस्था में विद्यमान है शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपी को भा0द0वि0की धारा 279 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा जीप क्रमांक एम.पी.30डी.0052 पूर्व से राकेश की सुर्पुदगी में है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में स्वमेव निरस्त माना जावे।

22. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपी को आहूत करता है तो इस संबंध में आरोपी की ओर से धारा 437ए के प्रावधान के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड